राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक एफ 1(1) आ0प्र0एवंसहा / ओला0 / 2018 / 4101-43 जयपुर,दिनांक 23.3.2018

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः—रबी फसल 2018 (सम्वत् 2074) में प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में ओलावृष्टि से रबी फसल 2018 (सम्वत् 2074) में दो हैक्टेयर व दो हैक्टयर से अधिक भूमि धारिता वाले लघु सीमान्त (SMF) एवं अन्य (OSMF) काश्तकारों की फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा हुआ है और आप द्वारा विभाग को गिरदावरी रिपोर्ट के साथ खराबा वाले पात्र काश्तकारों की संख्या अंकित की है, उसी के अनुसार पात्र काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता वितरण के लिए निम्ननानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः—

1. जिन लघु सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति (बोये गये क्षेत्र का) हुई है, उनको निम्न अनुसार कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा जो जोत सीमा तक एस.डी.आर.एफ. के नोर्म्स अनुसार अधिकतम दो हैक्टेयर तक देय होगाः—

असिंचित क्षेत्र हेतु	6800 रूपये प्रति हेक्टयर
सिंचित क्षेत्र हेतु	
(ए) बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्र हेतु	13500 रूपये प्रति हेक्टयर
(बी) बारहमासी फसलों हेतु	18000 रूपयें प्रति हेक्टयर

2. प्रभावित उन कृषकों को भी सहायता दी जा सकती है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है किन्तु जिन्होने भूमि पर ठेकेदारी / बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होनें खेती ठेके पर की है वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्रामसेवक की एक तीन सदस्य समिति का गठन किया जाये। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय ले

कर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिये कृषकों को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

3. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उससे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

4. कृषि आदान अनुदान सहायता के लिए जमाबन्दी एवं गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर दो हैक्टयर तक भूमि धारिता वाले काश्तकार एवं दो हैक्टयर से अधिक भूमि धारिता वाले काश्तकार की 6 सूचियां पृथक्–पृथक् निम्न प्रारूप में तैयार की जाऐगीः–

कृषि आदान अनुदान हेतु पात्र कृषकों की सूची

ग्राम.. पटवार हल्का...तहसील..................

लघु व सीमान्त कृषक / अन्य कृषक खराबा 33–50% / 50–75% / 75–100%

क्र. सं.	कृषक का नाम	जमाबन्दी के आधार पर धारित कुल रकबा (हैक्ट. में)	गिरदावरी के आधार पर बोया गया कुल रकबा (हैक्ट. में)	बोये गये क्षेत्रफल में से रकबा खराबा (हैक्ट. में)	देय अनुदान (असिंचित फसल पर 6800/– प्रति है0, बिजली के कुओं व नहरों से सिंचित 13500/– रूपये प्रति है0)(न्यूनतम रूपये 1000/–)	बैंक खाते का वितरण			अन्य विवरण		
						बैंक मय शाखा का नाम	IFSC Code	काश्तकार का खाता संख्या	भामाशाह कार्ड विवरण*	आधार कार्ड विवरण	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

पटवारी स्तर पर कार्यवाही एवं जांच–प्रथम स्तर जांच

- इसी प्रकार पटवारी स्तर पर प्रथम स्तरीय जांच में उनके हल्के के कई गांवों में किसी काश्तकार की भूमि होने अथवा एक ही गांव में कई खातों में भूमि होने अथवा अन्य जिले में भूमि होने बाबत प्राथमिक जांच कर पात्र काश्तकारों की निर्धारित मापदण्डों अनुसार अधिकतम दो हैक्टयर का अनुदान वितरण हेतु सूचीयां तैयार करने की कार्यवाही की जावेगी।